न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड RAS
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 218/2017 दायर तारीख :– 13.07.2017

1. गोपाल पुत्र मंगला
2. गुन्ना पुत्र मंगला
3. गलकूदेवी पत्नि रामदेव
4. मदनलाल पुत्र रामदेव
5. रामलाल पुत्र रामदेव
6. दानाराम पुत्र रामदेव
7. सीताराम पुत्र रामदेव
8. फूलचन्द पुत्र रामदेव
9. राजकुमार पुत्र रामदेव
10. हंसा पुत्री रामदेव
    समस्त जाति अहीर नि0 जानजडोल्या की ढाणी तन बाघावास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0
11. पूजा पुत्री रामदेव
12. कानी पुत्री रामदेव
    नाबालिकान जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता गलकूदेवी पत्नि रामदेव जाति अहीर नि0 जानडोल्या की ढाणी तन बाघावास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0
13. सोनीदेवी पत्नि हनुमान जाति अहीर नि0 जानडोल्या की ढाणी, तन बाघावास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

—: *प्रार्थीगण*

बनाम

1. गिरधारी पुत्र भूरा
2. जगदीश पुत्र भूरा
3. रामेश्वर पुत्र भूरा
4. गजानन्द पुत्र अमरा
5. रामकिशोर पुत्र अमरा
6. सोनीदेवी पत्नि ग्यारसा
7. चन्द्राभान पुत्र ग्यारसा
8. रामदयाल पुत्र ग्यारसा
9. ओमप्रकाश पुत्र ग्यारसा
    समस्त जाति अहीर नि0 बाघावास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0
10. मदनसिंह पुत्र विजयदानसिंह जाति चारण
11. शुभकरण पुत्र मालदान
12. भंवरसिंह पुत्र मालदान
13. हनुमानदान पुत्र मालदान
14. जोरावरसिंह पुत्र मदनसिंह
15. शिवदानसिंह पुत्र रामनारायण
16. प्रकाश कंवर पत्नि रामनारायण
    समस्त जाति चारण नि0 बाघावास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0
17. मन्नीदेवी पत्नि सीताराम जाति बागड़ा ब्राहमण नि0 पोकरसा का बास तह0 आमेर जिला जयपुर राज0

— *अप्रार्थीगण*

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृत अधिनियम, 1955 की धारा 251–क की उप धारा (1)

उपस्थित :– श्री अक्षेश कुमार पारीक अधिवक्ता प्रार्थी
श्री शिवराजसिंह, प्रभूदयाल वर्मा, ललित कुमार शर्मा, शंकरलाल काजला अधिवक्तागण अप्रार्थीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 26-7-19

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृत अधिनिय 1955 की धारा 251–क की उप धारा (1) के अधीन अनुज्ञा का आवेदन पत्र पेश किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात खं0नं0 431/1 रकबा 14 विस्वा, खं0नं0 431/2 रकबा 15 विस्वा वाकै ग्राम बाघावास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में आने जाने के लिये वर्तमान में वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण केवल मात्र खं0नं0 436/1 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे व खं0नं0 435 रकबा 9 बीघा 16 विस्वा की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे प्रार्थीगण अपनी आराजीयात में आते जाते रहे है जिसको प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शें में मार्क ए,बी,सी,डी से दर्शाया गया। उक्त मार्क ए,बी,सी,डी रास्तें को पूर्व में प्रार्थीगण उपयोग उपभोग में लेते रहे है किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण ने वर्तमान में इस रास्तें को बन्द कर दिया है उक्त रास्ता मार्क ए,बी,सी,डी आगे जाकर खं0नं0 361/1 में बने रास्तें डामर रोड़ में मिलता है। उक्त डामर रोड़ बाघावास से लालासर गांव की ओर जाती है इसलिए प्रार्थीगण के पास वर्तमान में वैकल्पिक कोई रास्ता नहीं होने से प्रार्थीगण को मार्क ए,बी,सी,डी संलग्न नक्शें में दर्शित 15 फुट रास्तें की आवश्यकता है जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजीयात पर सुगमता पूर्वक आ जा सके ओर भूमि का सुगमतापूर्वक उपयोग कर सके। प्रार्थीगण के पास वर्तमान में वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से प्रार्थीगण अपनी आराजीयात व उस पर बने मकानात पर भी आने जाने में असुविधा हो रही है इसलिए प्रार्थीगण को उक्त रास्ता मार्क ए,बी,सी,डी की सख्त आवश्यकता है जिसके लिए प्रार्थीगण डी0एल0सी0 रेट के अनुसार राशि भी अदा करने को तत्पर व तैयार है ओर नियमानुसार राशि अदा करने के लिए तत्पर व तैयार है इसलिए अप्रार्थीगण की उपरोक्त खसरा नम्बरान 436/1, 435 की भूमि में से रास्ता 15 फुट चौड़ा कायम कर राजस्व नक्शें में कायम करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 4 लगा0 10 व 14 की ओर से वकील श्री प्रभूदयाल वर्मा ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने में अप्रार्थी सं0 4 लगा0 9 को कोई आपति नहीं है। अप्रार्थी सं0 15 व 16 की ओर से वकील श्री ललित कुमार शर्मा व अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 व 17 की ओर से वकील श्री शिवराजसिंह राठौड़ ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं0 11 लगा0 13 की ओर से वकील श्री शंकरलाल काजला ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 व 17 की ओर से जवाब प्रा0पत्र पेश किया तथा अपने जवाब में प्रार्थीगण के सभी कथनों को अस्वीकार

उप खण्ड अधिकारी
सौंभर लेक

Scanned by CamScanner

नकल निर्णय दिनांक 02.09.97 पेश किया है। अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 व 17 ने अपने जवाब प्रा0पत्र के समर्थन मे फोटो प्रति जमाबन्दी खात सं0 421, फोटो प्रति जमाबन्दी खाता सं0 38, फोटो कॉपी नक्शा, फोटो कॉपी जमाबन्दी खाता सं0 217, 218, फोटो कॉपी नक्शा ट्रेस, नक्शा ट्रेस दिनांक 23.10.18, नक्शा ट्रेस दिनांक 24.04.19 पेश की है।

4. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रा0पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की आराजी में आवागमन हेतु चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा प्रार्थीगण अपनी आराजी मे ख0नं0 436/1 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे व ख0नं0 435 रकबा 9 बीघा 16 विस्वा की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे अपनी आराजी में आवागमन करते है जो कि प्रार्थी की आराजी में घुसने का एकमात्र रास्ता है। ख0नं0 435 के खातेदारों द्वारा रास्तें में जाने वाली आराजी के सम्बन्ध में एक समपर्णनामा भी 100 रू0 के स्टाम्प पर दे रखा है। प्रार्थीगण के अभिभांषक द्वारा बताया गया कि ख0नं0 435 का विभाजन सहखातेदारों के मध्य निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.17 के अनुसार किया जाकर रास्तें के लिए समर्पित भूमि का ख0नं0 435/7 रकबा 2 विस्वा कायम किया गया है जो जमाबन्दी सं0 218 संवत् 2072–75 एवंम् नक्शा ट्रेस से प्रमाणित है तहसीलदार कि0रेनवाल की रिपोर्ट के अनुसार ख0नं0 435 में से 3 विस्वा भूमि रास्तें हेतु दिया जाना अंकित किया है अतः ख0नं0 435/7 की 2 विस्वा आराजी व इससे लगती ख0नं0 435/6 में से 1 विस्वा आराजी सम्मलित करते हुए प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध करवाया जाना न्यायोचित एवं वैधानिक है तथा ख0नं0 436/1 के 1/2 हिस्सें के खातेदार अप्रार्थी सं0 4 लगा0 9 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर उपरोक्त रास्ता दिये जाने में कोई आपति नहीं होना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। तहसीलदार कि0रेनवाल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भी यह तथ्य भलीभांति सिद्व है कि प्रार्थीगण की आराजी में आवागमन हेतु चाहे गये रास्तें के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 व 17 की ओर से प्रार्थीगण की बहस का खण्डन करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है प्रार्थीगण अपनी आराजी में अन्य रास्तों से आवागमन करते है यदि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता प्रदान किया जाता है तो अप्रार्थीगण की जमीन के 2 टुकड़ें हो जायेगें। प्रार्थीगण को सीमाओं के सहारे सहारे ही रास्ता प्रदान किया जा सकता है। साथ ही यह भी कथन किया कि प्रार्थीगण अपनी आराजी में ख0नं0 415/2 जो रास्तें के रूप में दर्ज है उक्त रास्तें से अपनी आराजी पर आवागमन कर सकते है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रा0पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय पर मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की आराजी में आवागमन हेतु प्रकरण में चाहे गये रास्तें के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है तहसीलदार कि0रेनवाल द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है उक्त रिपोर्ट में भी तहसीलदार कि0रेनवाल द्वारा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने का अंकन किया है। ख0नं0 435 के खातेदारान द्वारा रास्तें के लिए 2 विस्वा भूमि का

Scanned by CamScanner

करते हुए उक्त प्रा०पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा अप्रार्थी सं० 11 लगा० 13 ने भी जवाब पेश कर प्रार्थीगण के प्रा०पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा अप्रार्थी सं० 10 व 14 ने जवाब प्रा०पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रा०पत्र स्वीकार किये जाने में हम अप्रार्थी सं० 10 व 14 को कोई आपति नहीं है। अप्रार्थी सं० 1 लगा० 3 द्वारा प्रा०पत्र 151 जा०दी० का पेश किया उक्त प्रा०पत्र 151 जा०दी० का जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। उक्त प्रा०पत्र 151 जा०दी० पर पक्षकारान की बहस सुनी गयी। अप्रार्थी सं० 1 लगा० 3 का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कि०रेनवाल को निर्देश दिया गया कि मौके पर जाकर अप्रार्थी सं० 1 लगा० 3 द्वारा सुझाये गये तीनों रास्तें व प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्तें का तुलनात्मक रिपोर्ट, मौका निरीक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवावें। जिस पर तहसीलदार कि०रेनवाल ने मौका रिपोर्ट पेश की परन्तु उक्त मौका रिपोर्ट अस्पष्ट होने पर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी। जिस पर तहसीलदार कि०रेनवाल ने कानून अनुसार रिपोर्ट पेश कर रिपोर्ट में अंकित किया कि पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में दर्शित के से जी स्थान तक रास्ता चालू है जो राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नहीं है खातेदारों द्वारा अपने खेत में से स्वंय के मकानों तक आने हेतु निकाल रखा है के से एल, आई से जे व जी से एच तक रास्ता मौके पर चालू नहीं है व न ही राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। वादीगण गोपाल संलग्न नक्शें में दर्शित ए स्थान से बी स्थान तक धारा 251 ए रा०टी०ऐ० के तहत रास्ता चाह रहा है। ए स्थान पर डामरीकरण सड़क लगती है व बी स्थान से आगे स्वंय के हिस्सें शुदा शामलाती रास्ता है मौके पर वर्तमान में रास्ता चालू नहीं है वादीगण गोपाल द्वारा चाहे जा रहे रास्ते अनुसार खं०नं० 436/1 में से अगर 15 फुट चौड़ाई का दिया जाता है तो रास्तें में करीब 3 विस्वा व खं०नं 435 में 3 विस्वा कुल 6 विस्वा भूमि रास्तें के काम आयेगी वर्तमान में वादीगण गोपाल के आवासीय मकान तक पहुंच का कोई रास्ता नहीं है तथा साथ ही उक्त मौका रिपोर्ट पेश की जिसमें अंकित किया कि खं०नं० 436/1, 435 के मौके हमराह पटवारी हल्का बाघावास को साथ लेकर पहुंचा। प्रार्थीगण गोपाल मौके पर उपस्थित आया। प्रार्थीगण व उपस्थित मौतबिरान को साथ लेकर आराजी खं०नं० 431/1, 431/2 में आने हेतु रास्तों का निरीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया कि आदेश के साथ सलग्न नजरी नक्शा में दर्शित के से जी रास्ता चालू है जो रिकोर्ड में दर्ज नहीं है। खातेदारों द्वारा अपने खेत खं०नं० में से स्वंय के मकानों तक आने हेतु निकाल रखा है। के से एल तक रास्ता चालू नहीं है। आई से जे तक भी चालू नहीं है तथा जी से एच तक भी चालू नहीं है। वादीगण गोपाल संलग्न नजरी नक्शें में दर्शित ए स्थान से बी स्थान तक आराजी खं०नं० 436/1, 435 में होता हुआ रास्ता चाह रहा है जो वर्तमान में चालू नहीं है बन्द है। बी स्थान से प्रार्थीगण व वादीगण गिरधारी वगै० का शामलाती रास्ता है जो राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है तथा ए स्थान तक डामरीकरण सड़क बनी हुयी है प्रतिवादीगण में से गिरधारी पुत्र भूरा भी उपस्थित आया। फर्द मौका उपस्थित मौतबिरानों को पढ़कर सुनाया गया तथा हस्ताक्षर करवाये गये।

3. प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 436/1, 431/1, 435, संवत् 2072–2075, नजरी नक्शा, सहमति पत्र दिनांक 13.11.18 की फोटो प्रति, गुगल मेप, नकल समपर्णनामा दिनांक 02.11.15, नकल निर्णय दिनांक 03.11.95,

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

समर्पण भी किया हुआ है एवंम् खं0नं0 436/1 के 1/2 हिस्से के खातेदार अप्रार्थी सं0 4 लगा0 9 द्वारा उक्त प्रकरण में अपनी जवाब प्रस्तुत कर रास्ता दिये जाने में अनापत्ति जाहिर की है तथा प्रार्थीगण का प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 व 17 के अधिवक्ता के तर्क रहे कि प्रार्थीगण अपनी आराजी से खं0नं0 415/2 में बने हुए रास्ते से आवागमन करते है यदि प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण में मांगा गया रास्ता प्रदान किया जाता है तो अप्रार्थीगण की आराजी के 2 टुकड़े हो जायेंगे तथा रास्ता नियमानुसार सीमा के सहारे सहारे ही प्रदान किया जा सकता है अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार कि0रेनवाल द्वारा जो रिपोर्ट दिनांक 31.07.17 व 12.07.18 प्रस्तुत की गयी उसमें तहसीलदार कि0रेनवाल द्वारा यह तथ्य अंकित किये कि खं0नं0 431/1 व 431/2 के आवागमन में खं0नं0 436/1 व 435 के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने का अंकन किया है। मुताबिक तहसीलदार कि0रेनवाल की रिपोर्ट दिनांक 31.07.17 व 12.07.18 की रिपोर्ट के अवलोकन से यह तथ्य सामने आता स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खं0नं0 431/1 व 431/2 वाकै ग्राम बाघावास में खं0नं0 436/1 व 435 के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 व 17 की ओर से जो खं0नं0 415/2 के रास्ते के सम्बन्ध में कथन किया गया है वह सिंवाय चक रास्ता न होकर खातेदारी में अंकित रास्ता है। खं0नं0 436/1 के खातेदार अप्रार्थी सं0 4 लगा0 9 जो कि 1/2 हिस्सें के खातेदार काश्तकार है उन्होनें भी अपना जवाब प्रस्तुत है प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्तें को प्रदान किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की है एवंम् खं0नं0 435 के खातेदारान द्वारा एक समपर्णनामा दिनांक 02.11.15 को मय नक्शा लिखा जाकर उक्त रास्तें की भूमि 2 बिस्वा के सम्बन्ध में समपर्णनामा लिखा गया है। अप्रार्थीगण द्वारा एंवम् तहसीलदार कि0रेनवाल से प्राप्त मौका रिपोर्ट क्रंमाक भू0अ0/2017/3220 दिनांक 31.07.17 व पत्र क्रंमाक एल0आर0/2018/4139 दिनांक 12.07.18 के अनुसार अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं जाहिर किया गया है। तहसीलदार कि0रेनवाल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 31.07.17 के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता जिसकी चौड़ाई 15 फुट है उसमें खं0नं0 435 की 3 बिस्वा जमीन व खं0नं0 436/1 की 3 बिस्वा जमीन रास्तें में जाने के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है चूंकि खं0नं0 435 के खातेदारान द्वारा रास्तें के बाबत् समपर्णनामा दिया जा चुका है खं0नं0 435 के सहखातेदार के मध्य हुये विभाजन के फलस्वरूप रास्तें के लिए समर्पित भूमि खं0नं0 435/7 रकबा 2 बिस्वा है अतः खं0नं0 435/7 रकबा 2 बिस्वा की आराजी एवंम् इससे लगती हुयी खं0नं0 435/6 में से 1 बिस्वा आराजी का सम्मलित करते हुए 3 बिस्वा भूमि रास्तें के लिए दर्ज होनी है तथा खं0नं0 436/1 की आराजी में से 3 बिस्वा जमीन रास्तें के रूप में दर्ज होनी है उसकी डी0एल0सी0 दर के अनुसार राशि जमा किया जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः तहसीलदार कि0रेनवाल की रिपोर्ट अनुसार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कि0रेनवाल को आदेश दिया जाता है कि आराजी खं0नं0 431/1, 431/2 वाकै ग्राम बाघावास में कृषि कार्य हेतु आवाजाही के लिए तहसीलदार कि0रेनवाल द्वारा प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 31.07.17 के अनुसार

Scanned by CamScanner

ख0नं0 436/1 का 3 बिस्वा रकबा व ख0नं0 435 की पूर्वी सीमा का रकबा 3 बिस्वा में से 15 फुट चौड़ा रास्ता कायम किया जाकर उक्त रास्तें के रूप में उपयोग में आने वाली कुल 6 बिस्वा आराजी की वर्तमान डी0एल0सी0 दर से दुगुनी राशि जमा कर अप्रार्थीगण को उनके हिस्से अनुसार उक्त राशि का भुगतान कर प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता राजस्व रिकोर्ड में गै0मु0 रास्तें के रूप में अंकित किया जावें तथा मौके पर रास्ता कायम किया जावें। इस बाबत तहसीलदार कि0रेनवाल को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26-7-19 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

Scanned by CamScanner